न्यायालय अपर जिला जज, न्याय कक्ष सं०–3, रामपुर।

उपस्थितिः– अशोक कुमार सिंह–X, (एच०जे०एस०)

J.O. Code –UP 2741

सिविल निगरानी संख्या –22/2022

रजिस्ट्रेशन नं०–22/2022

UPRP010030722022

श्रीमती चन्द्रावती आयु लगभग 51 वर्ष पत्नी श्री पातीराम, निवासी ग्राम बढ़पुरा शर्की, डाकखाना लोहा मिल, तहसील सदर, जनपद रामपुर (उ०प्र०)।

–––––––निगरानीकर्त्री/वादिनी।

बनाम

1. श्रीमती तारा वयस्क पत्नी पूरन,
2. श्रीमती चन्द्रकी वयस्क पत्नी जयमल,
3. श्रीमती द्रोपदी वयस्क पत्नी भोपाल सिंह,
4. श्रीमती पूजा वयस्क पत्नी वीर सिंह, समस्त निवासीगण ग्राम बढ़पुरा शर्की, डाकखाना लोहा मिल, तहसील सदर, जनपद रामपुर (उ०प्र०)।

–––––विपक्षीगण/प्रतिवादीगण।

निर्णय

1. निगरानीकर्त्री/वादिनी की ओर से विद्वान उपजिलाधिकारी सदर, जनपद रामपुर द्वारा वाद सं०–1979/2021, कम्प्यूटरीकृत वाद सं०–टी202113590101979 चन्द्रवती बनाम तारा आदि, अन्तर्गत धारा–12(ग) उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1947 में पारित आदेश दिनांकित–30.04.2022 से क्षुब्ध होकर योजित की गयी है, जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्त्री/वादिनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–12(ग) उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम निरस्त किया गया है।

2. विहित प्राधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा–12(ग) चुनाव याचिका के संक्षित तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत संख्या–72 बढ़पुरा शर्की, तहसील सदर, जिला रामपुर के अन्य पदों के अतिरिक्त प्रधान पद हेतु मतदान दिनांक 15.04.2021 दिन बृहस्पतिवार तथा मतगणना दिनांक 02.05.2021 को प्रारम्भ हुई। मतगणना कथित तौर पर पूर्ण होकर परिणाम दुर्भिसंधि द्वारा दिनांक 03.05.2021 दिन सोमवार को घोषित किया गया जिसमें प्रतिपक्षी सं०–1 को कथित तौर पर सफल उम्मीदवार प्रधान पद हेतु अपूर्ण मतगणना द्वारा घोषणा मण्डी समिति तहसील सदर में निर्वाचन अधिकारी द्वारा की गयी तथा याची को सफल प्रत्याशी के बजाये दोयम स्थान का प्रत्याशी घोषित किया गया। याची ने ग्राम पंचायत बढ़पुरा शर्की, तहसील सदर, जिला रामपुर के प्रधान पद (मौहल्ला आरक्षित) हेतु न्याय–निर्देशन निर्धारित अवधि में किया। याची के अतिरिक्त प्रतिपक्षीगण

Digitally signed by ASHOK KUMAR SINGH
Date: 2026.03.12 17:27:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सं०–1 ता 4 ने भी अपने–अपने नाम निर्देशन प्रधान पद हेतु किये थे। याची को प्रधान पद उम्मीदवार हेतु चुनाव चिन्ह इमली, प्रतिपक्षी सं०–1 को कन्नी, प्रतिपक्षी सं०–2 को अनाज औसाता हुआ किसान, प्रतिपक्षी सं०–3 को कार तथा प्रतिपक्षी सं०–4 पूजा को किताब चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ। प्रारम्भ में अर्थात निर्वाचक नामावली वर्ष 2020 के दावों/आपत्तियों के निस्तारण उपरान्त तहसीलदार सदर व उनके स्टाफ द्वारा तैयार करायी गयी सूची जो वर्ष 2020 निर्वाचक नामावली में परिवर्धन/संशोधन/ अपमार्जन हेतु वैण्डर मैसर्स शान्ति कम्प्यूटर्स को अन्तिम सूची मिलान हेतु प्रेषित की गयी। जिसको याचिका में अनुसूची संख्या–1 सम्बोधित किया है। प्रतिपक्षी सं०–1 ने स्वयं एवं अपने पुत्रगण के सहयोग से भ्रष्टाचार अर्थात धन प्रलोभन देकर निर्वाचक नामावली तैयार करने वाली मैसर्स शान्ति कम्प्यूटर्स ज्वालानगर के प्रबन्धक आर०पी० सिंह एवं सम्बन्धित बी०आर०सी० कुलवन्त सिंह तहसील सदर से साज–बाज करके वैण्डर को मिलान द्वारा प्रेषित अनुसूची सं०–1 के अनुसार अन्तिम पंचायत निर्वाचक नामावली ग्राम बढ़पुरा शर्की तैयार न करके भ्रष्टाचार से वशीभूत होकर नाजायज नफा प्रबन्धक आर०पी० सिंह मैसर्स शान्ति कम्प्यूटर्स ज्वालानगर ने वी०आर०सी० कुलवन्त सिंह तहसील सदर से साज–बाज करके वरवक्त निर्वाचन मतदान हेतु मतदान पंचायत निर्वाचक नामावली (अन्तिम मतदाता सूची 2021 एवं अनुसूची सं०–2 पंचायत निर्वाचक नामवली, 2021 (प्रथम अनुपूरक) अनुसार सम्पन्न हुआ। पंचायत निर्वाचक नामवली, 2021 (प्रथम अनुपूरक) अनुसूची–डी आप में भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। उक्त गलत व फर्जी अनुसूची जिसके आधार पर सम्पूर्ण मतदान भ्रष्टाचार, घूस, प्रलोभन उपरान्त हुआ है, का ज्ञान याची व उसके अधिकृत एजेन्ट को मतदान दिवस दिनांक 15.04.2021 को प्राथमिक विद्यालय बढ़पुरा शर्की, तहसील सदर, जिला रामपुर में हुआ। अनुसूची सं०–3 में 133 ऐसे व्यक्तियों के नाम हैं जिनको फर्जी एवं अनुचित तरीके से पंचायत निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची), 2021 में था, जिसके संबंध में निर्धारित समयावधि में आपत्तियाँ प्रस्तुत हुई थीं। शपथ पत्र का संलग्न–4 जिसे याचिका में अनुसूची सं0–4 सम्बोधित किया गया है, 78 ऐसे व्यक्ति की सूची है जिनका फर्जी तरीके से पंचायत निर्वाचक नामावली (अन्तिम मतदाता सूची) 2021 में अतिरिक्त नहीं किये गये। जबकि पंचायत नामावली (निर्वाचक) 2020 (बी०एल०ओ०) में अंकित थे। इन सब व्यक्तियों के नामों का परिवर्धन किया जाना था, जिनका आपत्ति उपरान्त निस्तारण हुआ था। अनुसूची सं0–4 में अंकित 78 व्यक्तियों में कुछ का परिवर्धन अनुसूची सं०–दो में कर दिया किन्तु अधिकांश का नहीं किया गया तथा तमाम ऐसे बाहरी व्यक्तियों का परिवर्धन कर दिया गया जो गांव पंचायत के वासी नहीं हैं, ऐसे करीब 87 व्यक्ति सम्मिलित किये गये हैं। अनुसूची सं०–3 व 4 दावाओ/आपत्तियों के निस्तारण उपरान्त नियमानुसार बी०एल०ओ० तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा सूची सं०–1 तैयार हुयी जो तहसीलदार एवं उपजिलाधिकारी सदर सहित सम्पुष्ट सूची है। जिसको अन्तिमता हेतु बैण्डर को प्रेषित किया गया। जिसके अनुसार अनुसूची सं०–दो पंचायत निर्वाचक नामावली 2021 (प्रथम अनुपूरक) नहीं है। पंचायत निर्वाचक नामावली (अन्तिम मतदान सूची) 2021 जो 26.01.2021 तक तैयार प्रकाशित की गयी थी, जिसके आधार पर दावों/आपत्तियां आमन्त्रित की गयी थी, के साथ पंचायत निर्वाचक नामावली 2021 (प्रथम अनुपूरक) फर्जी व जाली है तथा बाहरी व्यक्तियों के नामों को सम्मिलित करके वैण्डर व बी०आर०सी० द्वारा साज–बाज उपरान्त तैयार करके भ्रष्टाचार से मतदान

प्रभावित किया। याची को इस तथ्य का ज्ञान दिनांक 15.04.2021 को होने के उपरान्त दिनांक 20.04.2021 को शिकायती पत्र रिटर्निंग ऑफिसर तथा जिलाधिकारी, रामपुर एवं पंचायत अधिकारी, रामपुर को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित किया, जिस पर समय रहते कोई कार्यवाही नहीं हुयी। प्रतिपक्षी सं०–1 ने स्वयं एवं अपने पुत्रगणों तथा देवर के जरिये मतदान को नकदी देकर, कपड़ा व मिठाईयां तथा मीट वितरित करके चुनाव को प्रभावित किया है तथा अनुसूची–दो में अपने रिश्तेदारी/जातिदारों/परिचितों के नामों को परिवर्धन, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, रिश्वतखोरी द्वारा सम्मिलित करके मतदान प्रभावित किया तथा अनुसूची सं०–दो ऐसी अपुष्ट सूची प्रेषित कर दी गयी, जिसमें परिवर्धन तो है किन्तु अपमार्जन कोई नहीं किया गया। याची ने अपने पति पातीराम के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिनांक 02.02.2021 जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी सदर को अनुसूची सं०–3 व 4 में अंकित व्यक्तियों के बारे में दिया था। जिस पर नियमानुसार जांच कराई गयी। जांच में भी 78 ऐसे व्यक्तियों के नाम गलत तरीके से काटे जाने एवं 133 व्यक्तियों के नाम गलत तरीके अंकित किये जाने की पुष्टि हुई। मतदान में बूथ सं०–246 पर 555 मत पड़े तथा बूथ सं0–247 पर कुल 536 मत पड़े। जबकि मतगणना में बूथ सं०–246 पर कुल 583 की गणना हुई। इस प्रकार 583–555= 28 मत अधिक मतपत्र गणना में पाये गये अस्पष्ट हैं। मतदान हुये मतपत्रों की संख्या एवं मतगणना में निकाले मतपत्रों में 28 से अधिक का अन्तर है। जिस कारण पुनः मतगणना आवश्यक है। मतगणना में याची को 316 एवं प्रतिपक्षी सं०–1 को 442 मतपत्र बताकर 442–316= 126 मतपत्रों से प्रतिपक्षी को विजयी घोषित किया गया। उक्त 126 मत पत्रों में 133 ऐसे कथित बाहरी मतदाता है, जिनका नाम अनुसूची सं०–3 में अंकित ऐसे व्यक्ति/कथित मतदाता है, जिनको भ्रष्टाचार, घुसखोरी, प्रलोभन द्वारा वैण्डर्स व बी०आर०सी० से साज–बाज करके पंचायत निर्वाचक नामावली (अन्तिम मतदाता सूची) 2021 में गलत तरीके से अंकित कर लिया गया है और 78 ऐसे मतदाताओं के नाम काट दिये गये थे जिसको बढ़ाया जाना था जो अनुसूची सं०–चार में अंकित हैं, का परिवर्धन किया जाना था। दिनांक 15.04.2021 को वैण्डर्स द्वारा भ्रष्टाचार, मनगढन्त, त्रुटिपूर्ण एवं निर्वाचक नामावली बनाने मतदान कराने तथा उक्त के सम्बन्ध में जानकारी होने बाहरी व्यक्तियों का नाम सूची में सम्मिलित कर मतदान कराने एवं मतगणना में मतदान से अधिक मतपत्रों की गणना करने के फलस्वरूप मण्डी समिति स्थल तहसील सदर, जिला रामपुर में प्रतिपक्षी को गलत विजयी घोषित करने के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ।

वाद को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से अपनी आपत्ति/लिखित कथन प्रस्तुत की गयी जिसमें यह कथन किया गया है कि याचिका अन्तर्गत धारा 12(ग) पंचायत राज अधिनियम विधि विरूद्ध है। वादनी ने सही तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्यों पर आधारित विपक्षीगण सं०–1 से नफा नाजायज हासिल करने के उद्देश्य से श्रीमान जी के न्यायालय में गलत रूप से याचिका दायर की है, जो मय हर्जे खर्चे पर निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षीगण सं०–1 की ग्राम पंचायत सं०–72 बढ़पुरा शर्की तहसील सदर जिला रामपुर में विपक्षी सं०–1 द्वारा ग्राम प्रधान पद हेतु आवेदन किया गया था और किसी जिसका चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार मतदान दिनांक 15–04–2021 को सम्पन्न हुआ था और मतदान स्थल पर वादनी व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 के एजेन्टों पीठासीन अधिकारी के द्वारा नियुक्ति की गयी थी और मतदान के दिन मतदान

आरम्भ से मतदान होने तक वादनी व प्रतिवादीगण के एजेन्ट दोनों बूथों पर मौजूद रहे थे। ग्राम पंचायत सं०– 72 ग्राम बढपुरा शर्की का चुनाव आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 2–5–2021 को मतगणना मण्डी समिति रामपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी के निर्देशन में आरम्भ हुई और मतगणना के दौरान वादनी व प्रतिवादीगण के एजेन्ट मौजूद रहे थे, जिनकी मौजूदगी में मतगणना सम्पन्न हुई थी और रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रतिवादीगण सं०–1 तारा पत्नी पूरन को ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत बढपुरा शर्की तहसील सदर जिला रामपुर का विजयी प्रत्याशी घोषित किया गया था और विपक्षीगण सं०–1 को 126 वोटों से विजयी प्रत्याशी घोषित किया गया था। विपक्षीगण सं०–1 को रिटर्निंग आफिसर द्वारा ग्राम पंचायत बढ़पुरा शर्की तहसील सदर जिला रामपुर को अगले दिन दिनांक 3–5–2021 को विजयी प्रमाण पत्र जारी किया गया था तथा वादनी दूसरे नम्बर पर आयी थी। दिनांक 2–5–2021 को ग्राम पंचायत बढ़पुरा शर्की तहसील सदर जिला रामपुर की मतगणना चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सुरक्षा मानकों के अनुपालन में सम्पन्न हुयी थी और किसी प्रकार की कोई धांधली अथवा बिना किसी दुर्भिसन्धि के सम्पन्न हुयी थी। वादनी द्वारा लगाये गये आरोप बेबुनियाद तथा झूठे एवं निराधार है। सही तथ्य यह है कि वादनी वर्ष 2016 में ग्राम पंचायत बढ़पुरा शर्फी तहसील सदर जिला रामपुर की ग्राम प्रधान निर्वाचित हुयी थी और उसी समय से वादनी ग्राम पंचायत बढपुरा शर्की की ग्राम प्रधान पद पर चली आ रही थी तथा वादनी व उसके पति द्वारा विकास सम्बन्धी कार्यों एवं अन्य लाभकारी योजनाओं हेतु अपात्र लोगों से धनराशि अर्जित कर रखी थी लेकिन पात्र व्यक्तियों के अपात्र होने के कारण उनको लाभकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका, जिस कारण वादनी ने लाभार्थियों की धनराशि नाजायज रूप से हड़पने के उद्देश्य से व उनको गुमराह करते हुये श्रीमान जी के न्यायालय में उपरोक्त वाद दायर किया गया है जबकि वादनी को वाद दायर करने का किसी भी प्रकार से कोई हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादनी द्वारा चुनाव अधिकारियों व मतगणना अधिकारियों पर गंभीर प्रवृत्ति के आरोप लगाये गये हैं। रिटर्निंग आफिसर (आर०ओ०) अथवा (ए०आर०ओ०) जिनकी देख–रेख में दिनांक 2–5–2021 को मतगणना सम्पन्न की गयी थी और उक्त अधिकारियों द्वारा दिनांक 3–5–2021 को विपक्षीगण सं०–1 को ग्राम पंचायत बढपुरा शर्की तहसील सदर जिला रामपुर का विजयी प्रमाण पत्र जारी किया गया था, लेकिन वादनी ने उपरोक्त अधिकारियों को याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि उपरोक्त अधिकारी याचिका में आवश्यक पक्षकार है, जिस कारण याची द्वारा दायर की गयी याचिका मय हर्जे–खर्चे के निरस्त किये जाने योग्य है। वादनी द्वारा अपनी याचिका में लगाये गये आरोप कि निर्वाचक नामावली 2020 के दावे तहसीलदार व उसके स्टाफ द्वारा संशोधन मैसर्स शान्ति कम्प्यूटर को अन्तिम सूची मिलान हेतु प्रेषित की गयी थी और मै० शान्ति कम्प्यूटर्स ज्वालानगर के प्रबन्धक आर०पी० सिंह एवं बी०आर०सी० कुलवन्त सिंह से अवैध साज–बाज करके संशोधित करा ली गयी है, बिल्कुल गलत है। वादनी द्वारा लगाये गये समस्त आरोप झूठे व निराधार है क्योंकि अन्तिम मतदाता सूची 2021 का परिवर्धन अथवा अपमार्जन तथा संशोधन जिला निर्वाचन अधिकारी रामपुर के दिशा निर्देशन में किया गया था। वादनी द्वारा दायर की गयी याचिका तथ्यहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। वादनी द्वारा अपनी याचिका में विपक्षीगण सं०–1 पर लगाये गये आरोप कि विपक्षीगण सं०–1 ने स्वयं अपने पुत्र के सहयोग से भ्रष्टाचार एवं धन का प्रलोभन देकर निर्वाचक नामावली तैयार करने

वाली फर्म मै० शान्ति कम्प्यूटर्स ज्वालानगर के प्रबन्धक आर०पी० सिंह अथवा कुलवन्त सिंह से अवैध साज–बाज करके तैयार करायी थी, बिल्कुल झूठ व असत्य है बल्कि संस्था जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी रामपुर के दिशा निर्देशन में कार्य कर रही थी और उक्त संस्था के समस्त कार्य गोपनीय रखे जाते थे। वादनी द्वारा लगाये गये समस्त आरोप झूठे व असत्य हैं, जिस कारण वादनी द्वारा प्रस्तुत की गयी याचिका मय हर्जे–खर्चे पर निरस्त किये जाने योग्य है। वादनी द्वारा अपने पैरा नं०–9 में लगाये गये आरोप में कि 78 व्यक्तियों की ऐसी सूची जो गाँव में नहीं रहते, जिनका फर्जी तरीके से अन्तिम मतदाता सूची 2021 में परिवर्धन किया गया था, बिल्कुल गलत है बल्कि ग्राम पंचायत बढ़पुरा शर्की में जिन मतदाताओं का भूलवश पूर्व में मतदाता सूची में नाम छूट गया था अथवा जो मतदाता बनने योग्य पाये गये थे, उन 78 व्यक्तियों को बी०एल०ओ० ग्राम पंचायत बढ़पुरा शर्की द्वारा अन्तिम प्रकाशन मतदाता सूची 2021 में परिवर्धन करने हेतु अपनी आख्या कानूनगो रजिस्ट्रार तहसील सदर जिला रामपुर में प्रेषित की गयी थी, जिस आधार पर उक्त 78 व्यक्तियों के नाम अन्तिम प्रकाशन सची में बढ़ाये गये थे जिनके मतदाता फार्म मय आधारकार्ड व अन्य दस्तावेजो के साथ कानूनगो रजिस्ट्रार की सुपुर्दगी में थे। वादनी द्वारा लगाये गये समस्त आरोप झूठे व निराधार हैं। वादनी की छवि ग्राम पंचायत बढ़पुरा शर्की तहसील सदर जिला रामपुर में धूमिल हो चुकी थी, जिस कारण दिनांक 3–5–2021 से चुनाव हारने के कारण वादनी व उसके पारिवारिक सदस्य विपक्षीगण सं०–1 व उसके समर्थकों से ईर्ष्या रखने लगे और उसी ईर्ष्या के कारण विपक्षीगण सं०–1 को दिक व परेशान करने के उद्देश्य से सही तथ्यों को छिपाकर गलत तथ्यों पर आधारित श्रीमान जी के न्यायालय में गलत याचिका दायर की गयी है। बूथ सं०–246 तथा बूथ संख्या 247 पर क्रमशः 555 व 636 मत पड़े थे और मतगणना कर्मियों द्वारा मतगणना के समय मिलान के दौरान समस्त पड़े मतपत्र पूर्ण पाये गये थे और उक्त मतों की पूरी मतगणना की गयी तथा वादनी व उसके समर्थकों द्वारा मतगणना के दौरान किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की गयी थी। वादनी द्वारा लगाये गये समस्त आरोप झूठे व निराधार हैं। ग्राम पंचायत बढ़पुरा शर्की में मूलरूप से निवास करने वाले व्यक्ति ही मतदाता सूची में सम्मिलित किये गये हैं और उन्हीं मतदाताओं के द्वारा ग्राम पंचायत बढ़पुरा शर्की में दिनांक 15–4–2021 को प्रधान पद हेतु मतदान किया गया था तथा ग्राम पंचायत में किसी भी प्रकार से बाहरी व्यक्तियों का संशोधित सूची में नाम परिवर्धन नहीं किया गया है बल्कि जिन लोगों का अन्तिम प्रकाशन सूची में नाम परिवर्धन किया गया है, उनका नाम ग्राम पंचायत बढ़पुरा शर्की पर तैनात बी०एल०ओ० द्वारा अपनी जाँच आख्या के उपरान्त मतदाता बनने हेतु उनके फार्म को कानूनगो रजिस्ट्रार तहसील सदर जिला रामपुर को संदर्भित किया गया था जिसके आधार पर कुल मतदाताओं का नाम अन्तिम सूची में प्रकाशित किया गया था। वादनी द्वारा लगाये गये समस्त आरोप झूठे व निराधार हैं। वादनी ने मतगणना के सम्बन्ध में अथवा मतगणना के बाद किसी भी प्रकार की कोई शिकायत मतगणना कर्मियों अथवा रिटर्निंग आफिसर के विरुद्ध जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा जिला अधिकारी रामपुर को प्रस्तुत नहीं की थी क्योंकि दिनांक 2–5–2021 को राज्य चुनाव आयोग के निर्देशन में निष्पक्ष मतगणना सम्पादित की गयी थी और विपक्षीगण सं०–1 को ग्राम पंचायत बढ़पुरा शर्की का ग्राम प्रधान पद जीतने का प्रमाण पत्र दिनांक 3–5–2021 को दिया गया था, इससे चिढ़कर वादनी ने सही तथ्यों को छुपाते हुये गलत तथ्यों पर आधारित श्रीमान जी के

न्यायालय में विपक्षी सं०–1 को परेशान करने की नियत से तथा विपक्षी सं०–1 से नफा नाजायज का लाभ हासिल करने के उद्देश्य से गलत रूप से चुनाव याचिका दाखिल की है जो न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है।

वादनी की अपनी प्रस्तुत प्रतिआपत्ति में कथन किया गया है कि प्रतिवादी सं०–1 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा गलत, झूठा एवं निराधार है। गांव पंचायत 72 बढ़पुरा शर्की, तहसील सदर, जिला रामपुर के प्रधान पद का चुनाव जिसमें प्रतिपक्षी सं0–1 को सफल घोषित किया गया है, शून्य है तथा प्रतिपक्षी सं0–1 को विजय होना निरस्त किया जाकर वादिनी को विजयी उम्मीदवार घोषित किया जाना अति आवश्यक है। प्रतिपक्षी सं0–1 द्वारा आपत्ति/जवाब के पैरा सं0–5 में यह कहना कि मतगणना चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सुरक्षा मानको के सम्पन्न हुई थी और किसी प्रकार की कोई धांधली अथवा बिना किसी दुर्भिसंधि के सम्पन्न हुई थी, झूठा एवं निराधार है। प्रतिपक्षी सं0–1 का आपत्ति/जवाब के पैरा सं०–1 में यह कहना कि वादिनी द्वारा प्रधान पद पर रहते हुये विकास सम्बन्धी कार्यों एवं अन्य लाभकारी योजनाओं हेतु अपात्र लोगों से धनराशि अर्जित की और पात्र व्यक्तियों को लाभकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, जिस कारण वादिनी ने उक्त याचिका न्यायालय में दाखिल की है, कहना सरासर गलत एवं मिथ्या आरोप है तथा माने जाने योग्य नहीं है। प्रतिपक्षीगण के आपत्ति/जवाब के पैरा सं०–8 में निर्वाचक नामावली, 2020 के दावे तहसीलदार व उसके स्टाफ द्वारा संशोधन मैसर्स शान्ति कम्प्यूटर को अन्तिम सूची मिलान हेतु प्रेषित की गई थी और प्रतिपक्षीगण द्वारा मै० शान्ति कम्प्यूटर्स ज्वालानगर के प्रबन्धक आर०पी० सिंह एवं बी०आर०सी० कुलवन्त सिंह से अवैध साज–बाज करके संशोधित कराई गई थी। मै० शान्ति कम्प्यूटर्स ज्वालानगर के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी सम्बन्धित थाने में पंजीकृत हुई है। वादिनी द्वारा लगाये गये आरोप सत्य तथ्यों पर आधारित हैं। असल बात यह है कि प्रतिपक्षी सं०–1 ने स्वयं एवं अपने पुत्र के सहयोग से भ्रष्टाचार एवं धन का प्रलोभन देकर निर्वाचन नामावली तैयार करने वाली फर्म मैसर्स शान्ति कम्प्यूटर्स ज्वालानगर के प्रबन्धक आर०पी० सिंह अथवा कुलवन्त सिंह से अवैध साज–बाज करके तैयार कराई थी और उससे अवैध लाभ अर्जित किया गया था। जवाब दावा के पैरा सं०–10 में यह कथन गलत एवं निराधार है कि सूची में उल्लिखित 78 व्यक्ति गांव में नहीं रहते हैं बल्कि दूसरी ग्राम सभा के निवासी हैं। प्रतिवादी सं०–1 ने गलत परिवर्धन साज–बाज करके कराया है। कानूनगो राजस्व के पास ऐसी कोई स्वीकृत सूची नही है। समस्त जवाब दावा झूठा है। वादिनी याचिका में अंकित अपने कथनों को दोहराती है।

3. वादिनी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में शपथ पत्र 3/7 ता 3/8, पंचायत निर्वाचक नामावली 2020 वेंडर द्वारा प्रविष्ट मिलान हेतु सूची 3/9 ता 3/21, पंचायत निर्वाचक नियमावली 2021 (प्रथम अनुपूरक) 3/22 ता 3/32, पंचायत निर्वाचक नामावली वर्ष 2020 विलोपन (अपमार्जन) सूची 3/33 ता 3/42, पंचायत निर्वाचक नामावली वर्ष 2020 परिवर्धन सूची 3/43 ता 3/47, जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी सदर रामपुर को प्रेषित पत्र दिनांकित 02–02–2023 की प्रति 3/48, लेखपाल/सुपरवाईजर की आख्या दिनांकित 12–02–2021 की प्रति 3/49, धनराशि जमा करने का चालान फार्म 3/51, जिला पंचायत राज अधिकारी, रामपुर को प्रेषित पत्र दिनांकित 09–06–2021 की प्रति 3/52, रिटर्निंग आफिसर/उपजिलाधिकारी,

तहसील सदर, जिला रामपुर को प्रेषित पत्र दिनांकित 20–04–2021 की प्रति 3/53 ता 3/54, जिलाधिकारी रामपुर को प्रेषित पत्र दिनांकित 24–05–2021 की प्रति 3/56 ता 3/57, रजिस्ट्री रसीद 3/58, पंचायत निर्वाचक नामावली (अन्तिम मतदाता सूची) 2021 की सूची 3/59 ता 3/81, सूची 7 से पंचायत निर्वाचक नामावली (अन्तिम मतदाता सूची) 2021 की सूची 7/2 ता 7/37 दाखिल किये गये हैं।

4. प्रतिपक्षी सं०–1 की ओर से अपनी आपत्ति के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र 10/2 दाखिल किया गया है।

5. विद्वान उपजिलाधिकारी/विहित प्राधिकारी द्वारा उभय पक्षों को सुनकर दिनांक 30–04–2022 को प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता द्वारा उक्त निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

6. आलोच्य आदेश दिनांकित–30.04.2022 के विरूद्ध दाखिल सिविल निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वर्ष 2021 में ग्राम पंचायत सं०–72 बढ़पुरा शर्की, तहसील सदर, जिला रामपुर (उ०प्र०) के प्रधान पद हेतु मतदान दिनांक 15–04–2021 को हुआ था तथा दिनांक 02–05–2021 को मतगणना के उपरान्त दिनांक 03–05–2021 को चुनाव परिणाम घोषित किया गया जिसमें विपक्षी सं०–1 को तथाकथित रूप से सफल उम्मीदवार घोषित किया गया। विपक्षी सं०–1 ता 4 के द्वारा इस चुनाव में अपने–अपने नाम निर्देशन पत्र प्रधान पद हेतु प्रस्तुत किये गये थे। चुनाव में निगरानीकर्ता तथा सभी विपक्षीगण को अलग–अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। चुनाव से पूर्व अर्थात् निर्वाचक नामावली वर्ष 2020 के दावों/आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त तहसीलदार सदर तथा उनके स्टाफ द्वारा सूची तैयार करायी गई जो मैसर्स शान्ति कम्प्यूटर्स को अन्तिम मिलान हेतु प्रेषित की गई। विपक्षी सं०–1 ने स्वयं व अपने पुत्रगण के सहयोग से भ्रष्टाचार तथा धन प्रलोभन देकर निर्वाचक नामावली तैयार करने वाली मैसर्स शान्ति कम्प्यूटर ज्वालानगर, शहर व जिला रामपुर के प्रबन्धक आर०पी०सिंह एवं अन्य संबंधित अधिकारी से साजबाज करके अन्तिम पंचायत निर्वाचक नामावली तथा अनुसूची–2 भ्रष्टाचार में लिप्त होकर अन्तिम मतदाता सूची 2021 के साथ तैयार की। पंचायत निर्वाचक नामावली (अन्तिम मतदाता सूची 2021) एवं अनुसूची सं०–2 पंचायत निर्वाचक नामावली 2021 (प्रथम अनुपूरक) के आधार पर पंचायत चुनाव में मतदान सम्पन्न हुआ। पंचायत निर्वाचक नामावली 2021 (प्रथम अनुपूरक) तथा अनुसूची सं०–2 पूर्णतः गलत व फर्जी अनुसूची है जिसके आधार पर सम्पूर्ण मतदान प्रक्रिया आरम्भ हुई है। अनुसूची सं०–3 में ऐसे 133 व्यक्तियों के नामों को फर्जी व अनुचित तरीके से शामिल किया गया जो विधिनुसार पात्रता की श्रेणी में नहीं आते थे। इसके अतिरिक्त अनुसूची सं०–4 में 78 ऐसे व्यक्तियों की सूची है जिनका फर्जी तरीके से नाम पंचायत निर्वाचक नामावली (अन्तिम मतदाता सूची) 2021 में अंकित नहीं किया गया। जबकि पंचायत निर्वाचक नामावली 2020 (बी०एल०ओ०) में उक्त नाम अंकित थे। इन 78 व्यक्तियों के नामों का विधि अनुसार परिर्वधन किया जाना था। एक साजिश तथा षडयंत्र के अनुसार तमाम ऐसे बाहरी व्यक्तियों का परिवर्धन कर दिया गया जो ग्राम पंचायत के निवासी नहीं है। अनुसूची सं०–3 व 4 दावों/आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त नियमानुसार बी०एल०ओ० तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा सूची सं०–1 तैयार की गई जो सम्पुष्ट सूची है जिसको अन्तिम रूप देने हेतु बैण्डर को भेजा गया अर्थात अनुसूची सं०–2 पंचायत निर्वाचक नामावली 2021 (प्रथम

अनुपूरक) नहीं है। इस प्रकार पंचायत निर्वाचक नामावली 2021 (प्रथम अनुपूरक) फर्जी एवं जाली है तथा बाहरी व्यक्तियों को शामिल करके बैण्डर तथा बी०आर०सी० के द्वारा साजबाज के उपरान्त तैयार करके भ्रष्टाचार से वशीभूत होकर मतदान को पूर्णतः प्रभावित किया गया। इस तथ्य का ज्ञान होते ही निगरानीकर्त्री ने सम्बन्धित अधिकारियों को पंजीकृत डाक द्वारा सूचित किया गया जिस पर दुर्भाग्यवश कोई कार्यवाही अमल में नहीं लायी गई। विपक्षी सं०–1 ने अवैधानिक तरीके से मतदान को प्रभावित किया और मतदाताओं को प्रलोभन देकर चुनाव को प्रभावित किया है। निगरानीकर्त्री के द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर कुछ व्यक्तियों के नामों को गलत तरीके से काटे जाने तथा कुछ व्यक्ति के नाम गलत तरीके से अंकित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई। मतदान के उपरान्त मतगणना में भी स्पष्ट रूप से धांधली की गई और निगरानीकर्त्री को 316 एवं विपक्षी सं०–1 को 442 वोटों से विजयी घोषित किया गया, जिसके विरूद्ध निगरानीकर्त्री के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई। इस याचिका में विपक्षी सं०–1 उपस्थित आयी और उसके द्वारा आपत्ति/जवाब प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकर्त्री की याचिका को निरस्त करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है जिससे व्यथित होकर वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। प्रश्नगत आदेश दिनांकी 30.04.2022 आधारहीन, विधि विरूद्ध, असत्य तथा बेबुनियाद तथ्यों एवं कथनों पर आधारित है। प्रश्नगत आदेश पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार का सही व समुचित प्रयोग नहीं किया है बल्कि यंत्रवत आदेश पारित किया है। प्रश्नगत आदेश दिनांकी 30.04.2022 पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया का सही व समुचित अनुपालन नहीं किया है। धारा–12(ग) पंचायत राज अधिनियम 1947 की प्रक्रिया नियमित वाद के समान है। अधीनस्थ न्यायालय ने याचिका के सम्बन्ध में नियमित वाद प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाना तरीका प्रयोग करते हुए बिना वाद बिन्दुओं का विरचन किये बिना एवं बिना पक्षकारों को साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षा का अवसर प्रदान किये प्रश्नगत आदेश दिनांकी 30.04.2022 पारित किया है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के द्वारा जारी निर्देशिका का भी समुचित अनुपालन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नहीं किया गया। वास्तव में विपक्षी सं०–1 के द्वारा याचिका में मनमानी प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है, इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों के गंभीर परीक्षण के बिना प्रश्नगत आदेश पारित किया है। अतः निवेदन किया गया है कि निगरानीकर्त्री द्वारा योजित निगरानी को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांकित 30–04–2022 को निरस्त कर दिया जाये।

7. निगरानीकर्त्री की ओर से अपने समर्थन में शपथ पत्र 4c, सूची 7c से विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 30–04–2022 की प्रमाणित प्रति 8c/1 ता 8c/7 एवं आवेदन 10c के साथ मु०अ०सं०–155/2021, धारा–420,467,468 भा०दं०सं०, थाना स्वार, जिला रामपुर की चिक एफ०आई०आर० एवं आरोप पत्र की सत्यप्रतिलिपियाँ दाखिल किये गये हैं।

निगरानीकर्त्री की ओर से विधि व्यवस्थाएं **Chikhuri vs. Special Judge, Basti etc, AIR 1984, Allahabad 205 व उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम, अन्तर्गत धारा–12 (ग) की छाया प्रति** दाखिल की गयी है, जिनका ससम्मान अवलोकन किया तथा मार्गदर्शन प्राप्त किया।

8. न्यायालय द्वारा विपक्षीगण को उपस्थित हेतु नोटिस निर्गत किये गये। विपक्षी सं०–1 न्यायालय में उपस्थित आयी। विपक्षीगण सं०–2 व 3 दिनांक 03–11–2023 को न्यायालय में उपस्थित आयीं, किन्तु उसके उपरान्त विपक्षीगण सं०–2 व 3 न तो न्यायालय में उपस्थित आयीं और न ही उनकी ओर से कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गयी। विपक्षी सं०–4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। न्यायालय द्वारा विपक्षीगण सं०–2 ता 4 को उपस्थिति हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया, किन्तु विपक्षीगण सं०–2 ता 4 के उपस्थित न आने के कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06–02–2026 को उनके विरूद्ध वाद की कार्यवाही एकपक्षीय अग्रसारित की गयी।

9. विपक्षी सं०–1 की ओर से कोई लिखित आपत्ति नहीं की गयी है, केवल मौखिक आपत्ति की गयी है कि निगरानी कानूनन पोषणीय नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश दिनांकित 30–04–2022 गुण–दोष पर दोनों पक्षों को सुनने के उपरान्त विधि अनुसार पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अतः निवेदन किया गया है कि निगरानी निरस्त की जाये।

विपक्षी सं०–1 की ओर से विधि व्यवस्थाएं **राम आसरे बनाम उप खण्डीय अधिकारी, हमीरपुर आदि, निर्णय दिनांकित 20–08–1986 की छाया प्रति तथा पंचायत राज अधिनियम अन्तर्गत धारा–4(1) निर्वाचन याचिका की छाया प्रति व उ०प्र० पंचायत राज (निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 की छाया प्रति** दाखिल किये गये हैं, जिनका ससम्मान अवलोकन किया तथा मार्गदर्शन प्राप्त किया।

10. विद्वान विचारण न्यायालय की मूल पत्रावली तलब होकर इस पत्रावली उपलब्ध है।

11. न्यायालय द्वारा निगरानीकर्त्री के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी सं०–1 के विद्वान अधिवक्ता की बहस को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है। प्रश्नगत आदेश व विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

12. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा मूल पत्रावली एवं प्रश्नगत आदेश का अवलोकन किया। उपरोक्त अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निगरानी प्रार्थना पत्र के समुचित निस्तारण हेतु विचारण बिन्दु पर निष्कर्ष दिये जाने की आवश्यकता है।

13. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर अवधार्य बिन्दु यह है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय (उपजिलाधिकारी/विहित प्राधिकारी, तहसील सदर, रामपुर) द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता, अनियमितता अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तथा निर्णय दिनांकित 30.04.2022 को निरस्त कर निगरानीकर्त्री की निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है अथवा नहीं?

14. यहाँ पर उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम, 1947 की धारा–12(ग) का अवलोकन करना भी समीचीन होगा–

उ०प्र० प्रदेश पंचायत राज ऐक्ट की धारा 12 (ग) के अनुसारः–निर्वाचन को रद्द करने के लिए प्रार्थना पत्र– (1) प्रधान अथवा [ग्राम पंचायत] के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन, जिसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति का भी निर्वाचन है जो धारा 43 के अधीन किसी न्याय पंचायत का पंच नियुक्त किया गया हो, के सम्बन्ध में आपत्ति न की जायगी,

उस दशा को छोड़ कर, जब ऐसे अधिकारी को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जो विहित की जाय, इन आधारों पर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाय कि––

(क) यह है कि निर्वाचन इस कारण स्वतंत्र निर्वाचन नहीं था कि इनमें व्यापक रूप से घूसखोरी के भ्रष्टाचार अथवा अनुचित प्रभाव का प्रयोग किया था, अथवा

(ख) निर्वाचन के परिणामों पर–

(i) किसी नाम निर्देशन पत्र की अनुचित स्वीकृत या अस्वीकृति का, अथवा

(ii) इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुपालन की घोर उपेक्षा का सारवान प्रभाव पड़ा है।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित को घूसखोरी या भ्रष्टाचार का अनुचित प्रभाव माना जायेगा ।

(क) घूसखोरी अर्थात् किसी उम्मीदवार या उम्मीदवार की मौन सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी व्यक्ति का चाहे वह कोई भी क्यों न हो, पारितोषण की कोई भेट, अर्पण, प्रस्ताव या वचन का किया जाना जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से,

(अ) किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन में खड़े होने या न खड़े होने या उम्मीदवारी से हटने के लिये प्रेरित करना हो, या

(ब) किसी निर्वाचक को किसी निर्वाचन में मत देने या न देने के निमित्त प्रेरित करना अथवा जो–

(i) किसी व्यक्ति को उक्त रूप में खड़ा होने या न होने या अपनी उम्मीदवारी वापस लेने, या

(ii) किसी निर्वाचक को मत देने के लिये पुरस्कार स्वरूप दिया जाये।

(ख) अनुचित प्रभाव–अर्थात् किसी उम्मीदवार का या उम्मीदवार की मौन सम्मत्ति से किसी अन्य व्यक्ति का किसी निर्वाचन अधिकार के स्वतन्त्र प्रयोग में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हस्तक्षेप करना या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करना:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस खंड के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के विषय में, जो

(एक) किसी उम्मीदवार या किसी निर्वाचक या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसमें किसी उम्मीदवार या किसी निर्वाचक की अभिरुचि हो, किसी प्रकार की क्षति की जिसमें सामाजिक बहिष्कार और स्वजाति बहिष्कार अथवा किसी जाति या सम्प्रदाय से बहिष्कार भी सम्मिलित है, धमकी दे, या

(दो) किसी उम्मीदवार या किसी निर्वाचक का यह विश्वास करने के लिये प्रेरित करे या प्रेरित करने का प्रयत्न करे कि वह या ऐसा कोई व्यक्ति जिसमें उसकी अभिरुचि हो, दैवी प्रकोपता आध्यात्मिक दृष्टि से निन्दा का पात्र हो जायेगा या बना दिया जायेगा। यह समझा जायेगा कि वह इस खण्ड के अर्थ में, उम्मीदवार या निर्वाचक के निर्वाचन अधिकार के स्वतन्त्र प्रयोग में हस्तक्षेप कर रहा है।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई प्रार्थना–पत्र किसी निर्वाचन में किसी उम्मीदवार या किसी निर्वाचक प्रस्तुत किया जा सकता है और उसमें ऐसे ब्योरे रहेंगे, जो विहित किये जायें।

स्पष्टीकरण–कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने निर्वाचन में नाम निर्देशक–पत्र प्रस्तुत किया हो, चाहे ऐसा नाम निर्देशक पत्र स्वीकृत किया गया है या अस्वीकृत निर्वाचन में उम्मीदवार माना जायेगा ।

(4) उस प्राधिकारी को जिसे उपधारा (1) के अधीन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाये–

(एक) प्रार्थना–पत्र के सुनवाई करने और ऐसी सुनवाई में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के विषय में,

(दो) निर्वाचन को रद्द करने या निर्वाचन को शून्य घोषित करने या प्रार्थी को यथाविधि निर्वाचित घोषित करने या किसी अन्य उपशम के जो प्रार्थी को प्रदान किया जाये, विषय में,

ऐसे अधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो विहित किये जायें।

(5) उपधारा (4) के अधीन विहित किये जाने वाले अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपधारा (1) के अधीन प्रार्थना–पत्र की सरसरी सुनवाई और निस्तारण के लिए नियमों में व्यवस्था की जा सकती है।

(6) उपधारा (1) के अधीन आवेदन–पत्र पर विहित प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई पक्ष, आदेश दिनांक से तीस दिन के भीतर निम्नलिखित किसी एक या अधिक आधार पर जिला न्यायाधीश को ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है, अर्थात्––

(क) विहित प्राधिकारी ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है;

(ख) विहित प्राधिकारी इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है;

(ग) विहित प्राधिकारी ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में अवैध रूप से या सारवान अनियमितता से कार्य किया है।

(7) जिला न्यायाधीश पुनरीक्षण के लिए आवेदन पत्र का निस्तारण स्वयं कर सकता है या उसे अपने प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन किसी अपर जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश या अपर सिविल न्यायाधीश को निस्तारण के लिए सौंप सकता है और उसे किसी ऐसे अधिकारी से वापस मँगा सकता है या किसी अन्य ऐसे अधिकारी को अन्तरित कर सकता है।

(8) उपधारा (7) में उल्लिखित पुनरीक्षण प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी नियत को जाये, और वह विहित प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि उसमें फेर–फार या उसे विखंडित कर सकता है या मामले की पुनः सुनवाई के लिए विहित प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित

कर सकता है और उस पर विनिश्चय होने तक ऐसा अन्तरिम आदेश दे सकता है जैसा उसे न्याय–संगत और सुविधाजनक प्रतीत हो ।

15. अवधार्य बिन्दु के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली 1994, अवलोकनीय है–

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन विवादो का निपटारा) नियमावली 1994, के अन्तर्गत चुनाव याचिका दायर करने और विहित प्राधिकारी द्वारा याचिका के निस्तारण की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

<u>नियम 4–निर्वाचन याचिका की सुनवाई–:</u> (1) अधिनियम और इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक निर्वाचन याचिका की सुनवाई सब–डिवीजनल अधिकारी, जहां तक सम्भव हो उस प्रक्रिया से करेगा जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वादों की सुनवाई के लिए दी गई है:

प्रतिबन्ध यह है कि–

(एक) यदि प्रार्थी या उसके वकील को सुनने के पश्चात् सब–डिवीजनल अधिकारी को यह प्रतीत हो कि याचिका निराधार है तो वह विरोधी पक्षगणों को बिना कोई सूचना दिए याचिका को अस्वीकार कर सकता है।

(दो) सब–डिवीजनल अधिकारी के लिए यह आवश्यक न होगा कि वह साक्ष्य को पूरा करे, बल्कि वह पक्षों के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को केवल ज्ञापन के रूप में भी लिख सकता है।

(तीन) यदि याचिका केवल एक ही प्रार्थी की ओर से दी गयी है और उसकी मृत्यु हो जाए या उसमें केवल एक ही प्रत्यर्थी है और उसकी मृत्यु हो जाए तो याचिका का उपशमन हो जाएगा।

(चार) केवल ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देगा, जो वह याचिका के विनिश्चय के प्रयोजन के लिए सुसंगत समझें।

(पाँच) जिला मजिस्ट्रेट, पर्याप्त कारण प्रदर्शित किए जाने पर धारा 12–ग की उपधारा (1) के अधीन दिए गए आवेदन को किसी भी प्रक्रम पर किसी अन्य परगना अधिकारी को सुनवाई के लिए अन्तरित कर सकता है।

(छः) ऐसी याचिका को, जो निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत न की गई हो या जिसके साथ नियम 3 के उपनियम (1) के अपेक्षानुसार कोषागार चालान न हो, किसी समय भी अस्वीकार कर सकता है।

(सात) सब–डिवीजनल अधिकारी किसी भी पक्ष के आवेदन देने पर जो उसके विनिश्चय के दिनांक से पाँच दिन के भीतर दिया गया हो, अपने आदेश का पुनरीक्षण (Revision) कर सकता है।

(2) यदि सब–डिवीजनल अधिकारी को याचिका की सुनवाई करने के पश्चात् यह प्रतीत हो कि ऐसे व्यक्ति का निर्वाचन जिसके निर्वाचन के विरुद्ध याचिका दी गई थी, वैध है तो वह उस व्यक्ति के विरुद्ध याचिका को खारिज कर देगा और उसको प्रार्थी से उतना खर्चा भी दिलवाएगा जितना कि वह उचित समझे और यदि उसकी राय में याचिका बिल्कुल निरर्थक हो, तो यह आदेश दे सकता है कि वह प्रतिभूति निक्षेप जो दाखिल किया गया था या उसका कोई भाग सम्बन्धित ग्राम पंचायत के हक में जब्त कर लिया जाए।

(3) यदि डिवीजनल अधिकारी को यह प्रतीत हो कि किसी व्यक्ति का निर्वाचन अवैध था तो वह या तो (क) यह घोषित करेगा कि उक्त पद अक्स्मात रिक्त हो गया है, या (ख) उस पर अन्य किसी उम्मीदवार को वैध तौर से निर्वाचित घोषित करेगा। वह इन दोनों कार्यवाहियों में से ऐसी कार्यवाही करेगा जो वह किसी मामले की परिस्थितियों में उचित समझे और दोनों में से किसी भी दशा में वह वाद का खर्चा दिला सकता है, जो वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि वह किसी अन्य उम्मीदवार को वैध रूप से चुना हुआ घोषित नहीं करेगा, जब तक कि याचिका में इसके लिए दावा न किया गया हो।

16. निगरानीकर्त्री द्वारा अपनी निगरानी में सर्वप्रथम तर्क प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि चुनाव से पूर्व निर्वाचक नियमावली वर्ष 2020 के दावों/आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त तहसीलदार सदर तथा उसके स्टाफ द्वारा सूची तैयार की गयी जो मै० शान्ति कम्प्यूटर्स को अन्तिम मिलान हेतु प्रेषित की गयी, जिसमें विपक्षी सं०–1 ने स्वयं एवं अपने पुत्रगण के सहयोग से भ्रष्टाचार व प्रलोभन देकर निर्वाचक नियमावली तैयार करने वाली मै० शान्ति कम्प्यूटर्स, ज्वालानगर रामपुर के प्रबन्धक आर०पी० सिंह एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ साज–बाज करके अन्तिम मतदाता पंचायत निर्वाचक नियमावली 2021 (प्रथम अनुपूरक) सूची तैयार की जिसके आधार पर सम्पूर्ण मतदाता प्रक्रिया आरम्भ हुई। अनुसूची सं०–2 पूर्णतः गलत व फर्जी अनुसूची है एवं अनुसूची सं०–3 में ऐसे 133 व्यक्तियों के नामों को फर्जी एवं अनुचित तरीके से शामिल किया गया जो पात्र नहीं थे। इसके अतिरिक्त अनुसूची सं०–4 में 78 ऐसे व्यक्तियों की सूची है जिनका फर्जी तरीके से नाम पंचायत नियमावली (अन्तिम मतदाता सूची 2021) में अंकित नहीं किया गया, जिनके नाम 2020 (बी०एल०ओ०) पंचायत निर्वाचक नियमावली में अंकित थे। एक साजिश के तहत तमाम बाहरी व्यक्तियों का परिवर्धन कर दिया गया जो ग्राम पंचायत के निवासी नहीं थे। इस प्रकार पंचायत निर्वाचक नियमावली, 2021 (प्रथम अनुपूरक) वैण्डर्स तथा बी०आर०सी० के द्वारा साजबाज के उपरान्त तैयार करके भ्रष्टाचार से वशीभूत होकर मतदान को पूर्णतः प्रभावित किया गया, जिसके संबंध में निगरानीकर्त्री द्वारा पंजीकृत डाक द्वारा सबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया। निगरानीकर्त्री के द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर कुछ व्यक्तियों के नामों को गलत तरीके से काटे जाने तथा कुछ व्यक्तियों के नाम गलत तरीके से अंकित किये जाने के संबंध में कार्यवाही की गई। मतदान के उपरान्त मतगणना में भी स्पष्ट रूप से धांधली की गई और निगरानीकर्त्री को 316 एवं विपक्षी सं०–1 को 442 वोटों से विजयी घोषित किया गया। निगरानीकर्त्री द्वारा अपने उक्त तर्क के समर्थन में मु०अ०सं०–155/2021, धारा–420,467,468 भा०दं०सं०, थाना स्वार, जिला रामपुर की चिक एफ०आई०आर० एवं आरोप पत्र सं०–101/2022 की सत्यप्रतिलिपियाँ दाखिल की गयी हैं।

निगरानीकर्त्री के उक्त तर्क के खण्डन में विपक्षी सं०–1 की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई भ्रष्टाचार अथवा साज–बाज नहीं की गयी है। निगरानीकर्त्री की ओर से आवेदन 10c के साथ मु०अ०सं०–155/2021, धारा–420,467,468 भा०दं०सं०, थाना स्वार, जिला रामपुर की चिक एफ०आई०आर० एवं आरोप पत्र की जो प्रतियाँ दाखिल की गयी हैं, वह तहसील स्वार,

जिला रामपुर से संबंधित हैं, जबकि प्रस्तुत प्रकरण तहसील सदर, जिला रामपुर से संबंधित है, ऐसे में उक्त चिक एफ०आई०आर० का प्रस्तुत प्रकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है। निगरानीकर्त्री द्वारा विद्वान विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी याचिका या प्रस्तुत निगरानी में जिन व्यक्तियों/संस्थाओं के विरूद्ध भ्रष्टाचार जैसा गंभीर आरोप लगाया गया है अथवा संबंधित मतगणना अधिकारी (आर०ओ०) को चुनाव याचिक अथवा प्रस्तुत निगरानी में पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि वे आवश्यक पक्षकार थे। यदि याचिका में किसी व्यक्ति की भूमिका पर प्रश्न उठाया गया है तो उसे अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। आवश्यक पक्षकार न बनाए जाने पर चुनाव याचिका त्रुटिपूर्ण होती है, जिसे तकनीकी आधार पर निरस्त किया जा सकता है। अतः इसी कारण संबंधित विहित प्राधिकारी द्वारा चुनाव याचिका को पोषणीय न मानते हुए निरस्त किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि अथवा अनियमितता नहीं है।

उभय पक्ष के उपरोक्त तर्क के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य एवं विद्वान विचारण न्यायालय/उपजिलाधिकारी/विहित प्राधिकारी, सदर, जिला रामपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 30–04–2022 के अवलोकन से विदित है कि विहित प्राधिकारी द्वारा अपने अन्तिम आदेश के पृष्ठ सं०–6 के पैरा सं०–2 पर यह अंकित किया गया है कि *"पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादनी के द्वारा याचिका अन्तिम प्रकाशन में 78 व्यक्तियों का नाम परिवर्धन तथा 133 व्यक्तियों के नामों को सूची में फर्जी तरीके से शामिल करने के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। याचिका के साथ संलग्नक–6 में जो आख्या लेखपाल के द्वारा प्रस्तुत की गयी है, में अंकित किया गया है कि बी०एल०ओ०/सुपरावाइजर की रिपोर्ट के क्रम में ग्राम बढ़पुरा शर्की में पूर्व से चले आ रहे 78 नामों को वर्तमान नामावली में काट दिया गया है तथा 133 नामों को नामावली में बढ़ा दिया गया है। आख्या के साथ विलोपन सूची व जोड़ने हेतु परिवर्धन सूची को संलग्न किया गया है। उक्त आख्या 15–02–2021 को तहसीलदार सदर के द्वारा रजिस्टार कानूनगो प्रेषित की गयी है। तदोपरान्त जो निर्वाचन हुआ वह संशोधित नामावली के आधार पर हुआ।"* इस प्रकार विहित प्राधिकारी द्वारा संबंधित लेखपाल की आख्या का उल्लेख किया गया है, जिसके आधार पर संशोधित नामावली के अनुसार निर्वाचन सम्पन्न हुआ जिससे उक्त आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होना परिलक्षित नहीं होती है।

इसके अतिरिक्त निगरानीकर्त्री के द्वारा विद्वान विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत चुनाव याचिका में जिन व्यक्तियों के ऊपर भ्रष्टाचार एवं घूसखोरी जैसे गंभीर प्रकृति के आरोप लगाये गये हैं, उनको न तो चुनाव याचिका में पक्षकार बनाया गया है और न ही चुनाव सम्पन्न कराने वाले चुनाव अधिकारी अथवा मतगणना अधिकारी (आर०ओ०) जिनकी देख–रेख में चुनाव एवं मतगणना सम्पन्न कराया गया, उन्हें पक्षकार बनाया गया है, जबकि उपरोक्त अधिकारी आवश्यक पक्षकार थे, जैसा की विहित प्राधिकारी के आदेश के पृष्ठ सं०–6 व 7 पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि *"चुनाव प्रक्रिया में क्या गलत हुआ स्पष्ट नहीं किया गया है, मात्र बैण्डर के द्वारा किये गये कार्यों को चुनौति दी गयी है। जबकि बैण्डर का कार्य अन्तिम प्रकाशन की सूची प्रिन्ट करने का होता है। प्रस्तुत याचिका में परिणाम घोषित अधिकारी को पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि परिणाम शुद्ध पाये जाने पर उसको घोषित करने का अधिकार मात्र आर०ओ० को प्राप्त है। उसके उपरान्त ही प्रमाण पत्र जारी आर०ओ० के द्वारा किया जाता है। आर०ओ० के द्वारा सभी मानको के*

पूर्ति होने के उपरान्त ही चुनाव परिणाम को घोषित किया जाता है। याचिका में यह स्पष्ट नही किया गया है कि चुनाव में उसको कहाँ पर सुनवाई नही हुई और साक्ष्य भी जो उपलब्ध कराये गये उस पर कार्यवाही पूर्व रूप से ही हो चुकी है। प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी है। उपरोक्त के क्रम में चुनाव प्रक्रिया मानको के अनुसार सम्पन्न हुई है। याचिका पोषणीय नहीं पायी जाती है।" इस प्रकार निगरानीकर्त्री द्वारा विद्वान विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी चुनाव याचिका या प्रस्तुत निगरानी में जिन व्यक्तियों/संस्थाओं के विरूद्ध भ्रष्टाचार जैसा गंभीर आरोप लगाया गया है, उनमें से किसी भी व्यक्ति/संस्था अथवा संबंधित मतगणना अधिकारी (आर०ओ०) को चुनाव याचिक अथवा प्रस्तुत निगरानी में पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि वे आवश्यक पक्षकार थे, जिस कारण संबंधित विहित प्राधिकारी द्वारा चुनाव याचिका पोषणीय न मानते हुए निरस्त किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि अथवा अनियमितता नहीं है। इस प्रकार विहित प्राधिकारी द्वारा आवश्यक पक्षकार न बनाये जाने एवं चुनाव प्रक्रिया में चुनाव सम्बन्धी किसी गलती का उल्लेख न होने के कारण याचिका पोषणीय नहीं पाये जाने पर चुनाव याचिका को निरस्त किया गया, जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है। जहाँ तक निगरानीकर्त्री की ओर से आवेदन 10c से दाखिल मु०अ०सं०–155/2021, धारा–420,467,468 भा०दं०सं०, थाना–स्वार, जिला– रामपुर की चिक एफ०आई०आर० एवं आरोप पत्र की सत्यप्रतिलिपियों का संबंध है तो उनके अवलोकन से विदित होता है कि मु०अ०सं०–155/2021 थाना–स्वार, जिला–रामपुर से संबंधित हैं, जबकि प्रस्तुत प्रकरण तहसील–सदर, जिला–रामपुर से संबंधित है। इस प्रकार निगरानीकर्त्री द्वारा दाखिल उक्त प्रपत्र उसके तर्कों को बल प्रदान नहीं करते हैं।

17. निगरानीकर्त्री द्वारा अपनी निगरानी में दूसरा तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 12(ग) पंचायत राज अधिनियम, 1947 की प्रक्रिया नियमित वाद के समान हैं। विचारण न्यायालय ने याचिका के संबंध में नियमित वाद प्रक्रिया का प्रयोग नहीं किया है। विचारण न्यायालय ने मनमाना तरीका प्रयोग करते हुए बिना वाद बिन्दुओं का विरचन किये एवं बिना पक्षकारों को साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षा का अवसर प्रदान किये प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। अपने तर्क के समर्थन निगरानीकर्त्री द्वारा विधि व्यवस्था **Chikhuri vs. Special Judge, Basti etc, AIR 1984, Allahabad 205** दाखिल की गयी है जिसमें यह अवधारित किया गया है कि "that, he decided the issue on merits when it was fixed only for evidence. In absence of any order fixing 10–11–1982 for hearing normally the Sub–Divisional Magistrate should not have decided it on merits. Of course, if parties would have agreed it might have been different."

उक्त तर्क के विरोध में विपक्षी सं०–1 द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादी की चुनाव याचिका में जो अनुतोष माँगा गया है, उसमें प्रथम अनुतोष यह माँगा गया है कि ग्राम पंचायत 72 बुढ़पुरा शर्की, तहसील सदर, जिला रामपुर में प्रतिपक्षी सं०–1 के चुनाव को विजय होना निरस्त कर शुन्य घोषित किया जाये एवं याची को विजयी उम्मीदवार घोषित किया जाये, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार नहीं है। मतगणना में हेरा–फेरी या गलत कृत्य के संबंध में न तो चुनाव परिणाम घोषण के

पूर्व कोई प्रार्थना पत्र दिया गया और न ही प्रार्थना पत्र न दिये जाने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण दिया गया है। जो विधि व्यवस्थाऐं निगरानीकर्त्री की ओर से दाखिल की गयी हैं, उस प्रकरण में विहित प्राधिकारी द्वारा साक्ष्य हेतु दिनांक नियत करते हुए निर्णय पारित किया गया है, जबकि प्रस्तुत प्रकरण में विद्वान विहित प्राधिकारी द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई हेतु पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए दोनों पक्षों द्वारा दाखिल लिखित बहस एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अन्तिम आदेश दिनांकित 30–04–2022 पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है।

उभय पक्षों के उक्त तर्कों के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि निगरानीकर्त्री/प्रार्थिनी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय में दायर याचिका को विद्वान विचारण न्यायालय/विहित प्राधिकारी ने दिनांक 17–06–2021 को दर्ज रजिस्टर कर वाद की पोषणीयता पर सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि 23–07–2022 नियत की गयी। दिनांक 10–08–2022 को प्रतिवादी/विपक्षी सं०–1 उपस्थित आयी और प्रतिवादी सं०–2,3,4 की उपस्थिति/लिखित कथन हेतु 31–08–2021 नियत की गयी। दिनांक 13–10–2021 को प्रतिवादी सं०–1 की ओर से लिखित कथन दाखिल किया गया तथा शेष प्रतिवादीगण सं०–2 ता 4 का लिखित कथन व जबाबुल जबाव दाखिल करने हेतु दिनांक 20–10–2021 नियत की गयी। दिनांक 29–10–2021 को शेष प्रतिवादीगण सं०–2 ता 4 के उपस्थित न आने के कारण उनका जबावदावा का अवसर समाप्त कर दिया गया। दिनांक 14–12–2021 को वादिनी/निगरानीकर्त्री की ओर से जबाबुल जबाव दाखिल किया गया और पत्रावली बहस हेतु नियत हुई। दिनांक 14–03–2022 को प्रतिवादी सं०–1 की ओर से लिखित बहस दाखिल की गयी तथा दिनांक 21–03–2022 को वादिनी की ओर से लिखित बहस दाखिल की गयी। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय की मूल पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विद्वान विचारण न्यायालय/उपजिलाधिकारी/विहित प्राधिकारी, सदर, रामपुर द्वारा दोनों पक्षकारों के द्वारा लिखित कथन/साक्ष्य/लिखित बहस दाखिल करने उपरान्त उन्हें पूर्ण अवसर प्रदान कर निर्णय/आदेश दिनांकित 30–04–2022 पारित किया गया है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचन विवादों का निपटारा) के नियम 4 (दो) के अनुसार सब–डिबीजनल अधिकारी के लिए यह आवश्यक न होगा कि वह साक्ष्य को पूरा करे, बल्कि वह पक्षों के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को केवल ज्ञापन के रूप में भी लिख सकता है। इस प्रकार विचारण न्यायालय/विहित प्राधिकारी की पत्रावली पर उपलब्ध आदेश पत्रों के अवलोकन से ऐसा कहीं भी प्रतीत नहीं होता है कि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना अन्तिम आदेश पारित किया गया है। अतः निगरानीकर्त्री के उक्त तर्क में भी कोई बल नहीं पाया जाता है।

18. इस सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा **Amit Narayan Rai Vs. State of U.P [Civil misc. writ petition no. 63380/2011,** निर्णय दिनांकित 09.04.2012] में यह मत अवधारित किया गया है कि It is not pleaded at all in the election petition that any stage during counting of votes there was any contravention or violation of procedure prescribed in rule 104. In fact, there is no averment in the election petition at all, only on the basis of difference in number of votes mentioned in statement of polling officers

and number of votes actually found for counting. Therefore order to be passes for recounting not proper."

इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **Ramadhar Singh Vs. District Judge Gazipur and others, (1985 All. L. J. 615)** में यह अवधारित किया गया है कि "As already explained the Supreme Court has, in cases arising under the Representation of the People Act, spelt out the condition that all the courts dealing with an election should not exercise its descretion to permit inspection of ballot papers unless the petition contains and adequate statement of material facts on which the petitioner relies in support of his case (viz., that the petition meets the requirements of section 83 (1) of the Representation of the People Act regarding contains of an election petition) for the reason that under the act, it is a matter of utmost important to maintain the secrerecy of ballot which is sacrosanct and which should not be lightly allowed to be violated on vague and indefinite allegations. This reason applies equally to an election held under U.P Panchayat Raj Act which too cherisish secrerecy of ballot to the same extent. Viewed from this angel, it becomes evident that the amplitude and purpose of the requirement of section 83(1)(a) of the Representation of The People Act that the election petition must contain a concise statement of material facts on which the petitioner relies and that of rule 24 of the rules framed under the U.P. Panchayat Raj Act to the effect that an application U/S 12C (1) of the act must specify the grounds on which the election of the respondent is being questioned as also a summary of circumstances alleged to justify the election being questioned on such grounds, is the same, viz., that the court or the authority dealing with the election petition under the respective enactment, should not countenance or proceed to investigate into any grounds taken in the election petion unless the ground as well as the material in support of the such grounds have been adequately disclosed in the petition. Neither of the two enactments countenances the court or the authority to permit the election petitioner to make or indulge into making of a roving enquiry with a view to fish out material for declaring an election void and it is this weighty., Factor which impels the Court or the authority not to look into or permit inspection of ballot papers unless that foundation for the purpose has been properly laid in the petition by specifying the ground and the material or the circumstances in support of such ground. Viewed in this light, the provisions contained in the U.P. Panchayat Rules permitting the summary hearing of an application under section 12 C(1) of the act and authorising the Sub–Divisional Officer to, instead of recording evidence in

full, merely maintain a memorendum thereof, has no bearing on the question regarding circumstances in which the ballot papers can either be looked into or permitted to be inspected in proceedings under section 12 C of U.P. Panchayati Raj Act."

19. उपरोक्त की गयी विवेचना एवं विधि व्यवस्थाओं के आलोक में न्यायालय यह पाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय उपजिलाधिकारी/विहित प्राधिकारी, सदर, जिला रामपुर द्वारा पारित प्रश्नगत अन्तिम आदेश दिनांकित 30.04.2022 में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता, अनियमितता अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। प्रश्नगत आदेश दिनांकित 30.04.2022 विधि अनुसार होने के कारण पुष्ट किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थिनी/निगरानीकर्त्री द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनी/निगरानीकर्त्री श्रीमती चन्द्रावती द्वारा दाखिल की गयी सिविल निगरानी संख्या –22 सन् 2022, श्रीमती चन्द्रावती बनाम श्रीमती तारा आदि निरस्त की जाती है। विद्वान उपजिलाधिकारी/विहित प्राधिकारी, सदर, जिला रामपुर के द्वारा वाद संख्या 1979/2021, कम्प्यूटरीकृत वाद सं०– टी202113590101979, श्रीमती चन्द्रावती बनाम तारा आदि, अन्तर्गत 12(ग) उ०प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1947 में विद्वान उपजिलाधिकारी/विहित प्राधिकारी, सदर, जिला रामपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 30.04.2022 की **पुष्टि** की जाती है।

इस निर्णय की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को तलबुशदा पत्रावली के साथ प्रेषित हो व सिविल निगरानी की पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक: 07.03.2026

(अशोक कुमार सिंह–X)
अपर जिला जज,न्याय कक्ष सं०–3,
रामपुर।
J.O. Code. No. UP 2741

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांक: 07.03.2026

(अशोक कुमार सिंह–X)
अपर जिला जज,न्याय कक्ष सं०–3,
रामपुर।
J.O. Code. No. UP 2741

अजय कुमार,
आशुलिपिक